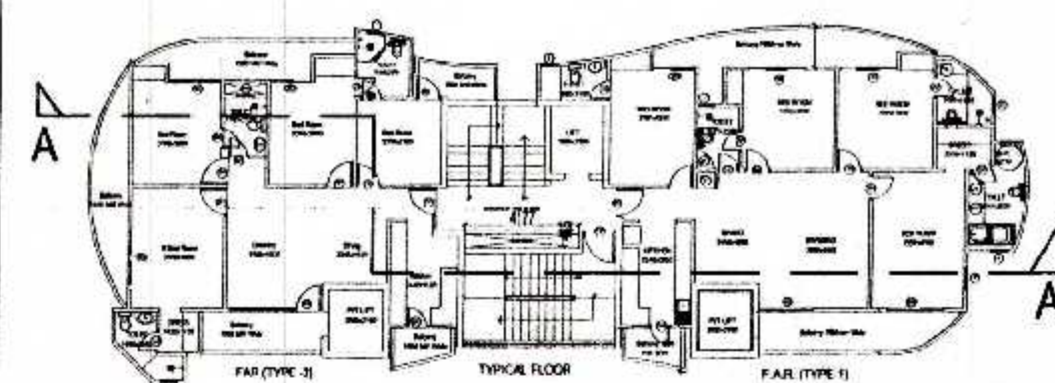




ELEVATION
KEY PLAN



स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

निष्ठा का दृष्टि से राजा वन निती
अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम
५० पड़ लगाना अनिवार्य है.

मान्येयः गीकृत ११. ५२ आकेत शर्तो व
अधीन मान्येयत्र निर्गत किया जाता है।

अहं गङ्गावित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैद्य हूँ।

समस्या का उत्तर के मयन / स्वरूप और सुरक्षा हेतु
विभिन्न देशों पर समस्या दीक्षा के कारण
असह्यतापूर्ण टाई नीम खतम उचित / आवश्यक
है जो जीवोपेक्षित लेवल सिस्टम प्रत्येक छत
के नीचे वाले जगह ।

अतः पर एक दोड़ पर स्वयं मानचित्र का
संस्था व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जातों के अनुसार सुराक्षित वृक्ष
कोष्ठक ही निर्माण कार्य किया जाएगा

SUBMISSION DRAWING FOR PROPOSED GROUP
HOUSING AT PLOT NO. 01,
AT SMV INTEGRATED TOWNSHIP
VII: SHAHPUR - BAMHETA, GHAZIABAD

OWNER	SMV AGENCIES PVT LTD 8-C, HANSALYA, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI - 110001
-------	--

ARCHITECT

NATIONAL ARCHITECTS & ENGINEERS

14, OLD NAVYUG MARKET, GHAZIABAD-201001, PHONE NO. 0120-2713334

DRAWING TITLE
TOWER - 3
SECTION, ELEVATION

DRAWING NO.

NORTH

SCALE

1:100

ARCH. SEAL & SIG.

OWNERS SIG. _____

RACHIT SHARMA
B.Arch. MUDP
COA No. - CA/2002/30415

For SMV AGENCIES PVT. LTD.

Director